## <u>महाविद्यालय विकास परिषद की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त</u>

## <u>दिनांक 30 अक्टूबर 2014 को सुबह 11:00 बजे</u>

महविद्यालय विकास परिषद की द्वितीय बैठक का आयोजन दिनांक 30 अक्टूबर 2014 को सुबह 11:00 बजे कुलपति के कार्यालय में हुआ। बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो. टी.बी.सुब्बा,<br>कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग,<br>डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ | - | सदस्य |
| 3. | प्रो. प्रताप चंद्र,<br>डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ | - | सदस्य |
| 4. | डॉ. धनीराज छेत्री,<br>डीन, छात्र कल्याण | - | सदस्य |
| 5. | डॉ. बीणा प्रधान,<br>प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महविद्यालय, तादोंग | - | सदस्य |
| 6. | डॉ. लिली एली,<br>प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक | - | सदस्य |
| 7. | सुश्री केसांग भूटिया,<br>प्राचार्य (प्रभारी)<br>सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग | - | सदस्य |
| 8. | डॉ. पी.के.शर्मा,<br>प्राचार्य, डंबर सिंह महविद्यालय, गंगटोक | - | सदस्य |
| 9. | फादर डॉ. डेनियल बारा, एसजे,<br>प्राचार्य,<br>लोयोला शिक्षा महविद्यालय, नामची | - | सदस्य |
| 10. | श्री टी.के.कौल,<br>कुलसचिव | - | सचिव |

डॉ. सुरेश कुमार गुरुंग, परीक्षा नियंत्रक विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लिया।

अध्यक्ष ने महाविद्यालय विकास परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। विशेष तौर पर उन्होने डॉ. बीणा प्रधान का, जिन्होंने सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग के प्राचार्य का कार्यभार ग्रहण किया और सुश्री केसांग भूटिया, प्राचार्य (प्रभारी), सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग का स्वागत किया, जिन्होंने पहली बार के लिए बैठक में भाग लिया। इसके बाद एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा की गई।

## खंड 1

## कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्यवाही रिपोर्ट

**सीडीसी.2.1.1: महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 20 मई 2014 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि**

30 मई 2014 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित किए गए थे। परिषद के किसी भी सदस्य की ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिली है। 30 मई 2014 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

**सीडीसी.2.1.2: दिनांक 30 माई 2014 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही रिपोर्ट**

अध्यक्ष ने सचिव को महविद्यालय विकास परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बाद सचिव द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

सदस्यों में से एक ने बताया कि पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की आवश्यकता के लिए जारी अधिसूचना में शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक स्पष्टीकरण पत्र संबद्ध महाविद्यालयों के सभी प्राचार्यों को जारी किया जाएगा।

अध्यक्ष ने सूचित किया कि यद्यपि 13 जून 2014 को हुई बैठक में शैक्षणिक परिषद ने मौजूदा बीए-एलएलबी कार्यक्रम से बीबीए-एलएलबी में प्रवास के लिए सुझाव दिया है, लेकिन प्रबंधन विभाग में संकाय सदस्यों की आवश्यक संख्या की अनुपलब्धता के कारण विधि विभाग की मांग को पूरा करना इस समय संभव नहीं है। बीसीए-एलएलबी पाठ्यक्रम शुरू करने के सुझाए के लिए भी एक जैसी स्थिति है।

## खंड 2

## अनुसमर्थन विषय

**सीडीसी.2.2.1: चीनी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता**

निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय 63 माउंटेन ब्रिगेड के मानव संसाधन विकास केंद्र में चीनी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई है।

परिषद ने चर्चा के बाद मुख्यालय 63 माउंटेन ब्रिगेड, द्वारा 99 एपीओ को शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए चीनी भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता देने की कुलपति की कार्रवाई को मंजूरी प्रदान की गई।

## खंड 3

## विचारार्थ एवं अनुमोदन हेत विषय

### सीडीसी.2.3.1: महाविद्यालय विकास परिषद के लिए संविधि

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि अधिनियम की धारा -24 (2) के अनुसार, महाविद्यालय विकास परिषद के संविधान, सदस्यों के कार्यकाल और परिषद की शक्तियों और कार्यों को संविधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा। महविद्यालय विकास परिषद पर कोई भी संविधि उपलब्ध नहीं है। साथ ही अधिनियम की धारा 20 माविद्यालय विकास परिषद को विश्वविद्यालय के अधिकारियों में से एक के रूप में परिभाषित करती है और इसे शैक्षणिक परिषद और अध्ययन बोर्ड के बीच रखती है। हालांकि, महाविद्याल विकास परिषद पर एक अध्यादेश है जिसे कार्यकारी परिषद (ओडी-2) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मसौदा संविधि को 14-ए के रूप में गिने जानेवाले संविधि को 14 और 15 के बीच रखे जाने पर चर्चा की गई थी और मसौदा संविधि को शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए संविधान में निर्धारित करने की सिफारिश की गई कि कुलपति को पदेन अध्यक्ष के रूप में दिखाया जाएँ।

## खंड 4

## अध्यक्ष की ओर से विषय

### सीडीसी.2.4.1: विशेष निरीक्षण टीम की रिपोर्ट

संबद्धता समिति की सिफारिशों के आधार पर शैक्षणिक परिषद ने महाविद्यालय की स्थिरता का आकलन करने के लिए डंबर सिंह महाविद्यालय और पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय के गहन निरीक्षण के लिए एक विशेष निरीक्षण दल के गठन को मंजूरी दी। निरीक्षण दल ने 16 अक्टूबर 2014 को दोनों महाविद्यालयों का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षण रिपोर्ट पर परिषद द्वारा विचार किया गया। निरीक्षण दल की सिफारिशों के आधार पर परिषद ने निम्नानुसार सिफारिश की:

1. **डंबर सिंह महविद्यालय :**
   महविद्यालय को यूजीसी मूल वेतनऔर एजीपी और किसी भी अन्य भत्ते के साथ यूजीसी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 महाविद्यालय से संबद्धता की समीक्षा की जा सकती है। सत्यापन के लिए एक निरीक्षण दल 1 वर्ष के बाद महाविद्यालय का दौरा किया जा सकता और निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर महविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषयों की संबद्धता की समीक्षा की जा सकती है।

2. **पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय :**
   निरीक्षण दल महाविद्यालय की स्थिरता की जांच नहीं कर सका क्योंकि निरीक्षण टीम को लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया था। महाविद्यालय की खेदजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगले शैक्षणिक सत्र यानी जुलाई 2015 से महविद्यालय में नए छात्रों को प्रवेश नहीं दिलाने का निर्णय लिया गया।

हालाँकि, मई 2015 में निरीक्षण दल को महविद्यालय के निरीक्षण हेतु भेजा गया ताकि जाँच की जा सके कि संबद्धता की न्यूनतम आवश्यकता का पालन किया गया है या नहीं। यदि इसका पालन किया जाता है तो नए छात्रों के प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है अन्यथा नहीं। यदि महविद्यालय मई 2016 तक संबद्धता की न्यूनतम आवश्यकता को बनाए रखने में विफल होता है, तो महविद्यालय की संबद्दता समाप्त की जा सकती है।

**सीडीसी.2.4.2: राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय स्तर तक निशुल्क शिक्षा की हाल की घोषणा**

हालांकि इस मद में कोई औपचारिक एजेंडा नहीं था, फिर भी अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की क्योंकि सरकारी महाविद्यालय केवल पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने में सक्षम हैं। अन्य शुल्क सरकारी महाविद्यालय द्वारा जमा नहीं किए गए हैं क्योंकि उन्हें छात्रों से कोई भुगतान नहीं मिलता है। विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाले छात्रों का शुल्क राज्य सरकार को वहन करना होगा। यदि नवंबर 2014 के अंत तक संबंधित महाविद्यालयों से छात्रों को शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो विश्वविद्यालय सरकारी महाविद्यालयों में छात्रों की परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

राज्य सरकार का निर्णय स्नातक स्तर पर निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने की संभावना है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के कुछ सुझाव निम्नानुसार थे:

1) महाविद्यालय की अंतर्ग्रहण क्षमता को आधारभूत संरचना और उपलब्ध संकाय के आधार पर परिभाषित करने की आवश्यकता है। विज्ञान/कला/सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए सीट की सीमाएँ निम्नानुसार होनी चाहिए:
   रसायनिकी = 120, अन्य विज्ञान विषय = 60, कला विषय = 100, वाणिज्य = 100, विधि = 60.
2) राज्य सरकार गंगटोक स्थित महाविद्यालयों में छात्रों की भीड़ को कम करने के लिए "आला" महाविद्यालयों की अवधारणा को लागू करना शुरू करना चाहिए।
3) दसवीं से बारहवीं स्तर तक के छात्रों की काउंसलिंग में यह समझाने के लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा हर किसी के लिए एक लक्ष्य नहीं होनी चाहिए।
4) अंत में, परीक्षा नियंत्रक ने परिषद का ध्यान इस जानकारी की ओर आकर्षित किया कि कुछ महविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार व्यावहारिक परीक्षकों का भुगतान नहीं कर रहे थे। इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि महविद्यालय पूरी व्यावहारिक शुल्क जमा करें और विश्वविद्यालय व्यावहारिक परीक्षकों को नियुक्ति करने और अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान भी करें।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

**हस्ता/-**
**(टी.के.कौल)**
**कुलसचिव एवं सचिव**

**हस्ता/-**
**(टी.बी.सुब्बा)**
**कुलपति एवं अध्यक्ष**